



संख्या-19/2025/195/77-6-2025-6002(099)/2/2022

प्रेषक,

पीयूष वर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,

उद्योग,

लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 11-03-2025

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012 के क्रियान्वयन हेतु रु० 1,85,11,026.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-इन्स-10-19/आई.आई.पी.एस.-2012/Vol.V/1218 दिनांक 23.01.2025 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के अन्तर्गत 02 पात्र इकाइयों को स्वीकृत किए गए ब्याज मुक्त ऋण की अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि रु० 125.00 करोड़ के सापेक्ष कुल रु० 1,85,11,026.00 (रुपया एक करोड़ पच्चासी लाख ग्यारह हजार छब्बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाइयों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रुपये में)

क्रमांक	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत ऋण की वितरित की गई धनराशि	इकाइयों को 10 प्रतिशत वितरित की जाने वाली धनराशि
1-	मे० मंगलम सीमेन्ट लि० अलीगढ़	2021-22	13,12,11,631.00	11,80,90,468.00	1,31,21,163.00
2-	मे० मून बेवरेजज लि० ग्रेटर नोएडा	2019-20	5,38,98,634.00	4,85,08,771.00	53,89,863.00
	योग		18,51,10,265.00	16,65,99,239.00	1,85,11,026.00

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

रु.125.00 करोड़ रुपये एक सौ पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपरोक्त दो हवाईयों को व्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने हेतु उक्त तालिका के स्तम्भ 6 में अंकित धनराशि रु० 1,85,11,026.00 (रुपया एक करोड़ पच्चासी लाख ग्यारह हजार छब्बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. तालिका के स्तम्भ 6 में दर्शायी गयी उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान उक्त लाभार्थी कम्पनी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित कर जमा की जाएगी।
2. किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 (यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
7. पात्र इकाईयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप का होगा। पिकप द्वारा इकाईयों को स्वीकृत किए गए ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2012 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक अनुबन्ध/औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।
8. पिकप द्वारा यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पात्र इकाईयों को अनुमन्य ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार है अथवा नहीं।
9. ऋण वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूली जाने वालीज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
 11. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किया जाएगा। पिकप उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरांत ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
 12. पिकप द्वारा वितरित ऋण की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाएगी।
 13. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 14. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए पिकप उत्तरदायी होगा।
 15. पिकप द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2012 के प्रावधानों के अनुसार इकाई की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। इस बिन्दु पर भी संतुष्ट हो लेंगे कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 के अन्तर्गत उक्त इकाईयों को स्वीकृत किये गए ऋण की वापसी हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं एवं इस आशय की आख्या पिकप द्वारा संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उपलब्ध कराने के पश्चात ही उनके द्वारा धनराशि अन्तरित की जाएगी।
 16. पिकप धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
 17. पिकप शासनादेश संख्या-1418/77-6-2024-6002(099)/9/2021, दिनांक 19.06.2024 का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रु० 1,85,11,026.00 (रुपया एक करोड़ पच्चासी लाख ग्यारह हजार छब्बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 लेखा शीर्षक 6885011900700 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 मानक मद-30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2020-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-19/2025/195(1)/77-6-2025-6002(099)/2/2022 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ कानपुर।
3. अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को पत्रांक-इन्स-10-19/आई.आई.पी.एस.-2012/Vol.V/1218 दिनांक 23.01.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु ।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग- 2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम ध्यान रावत
उप सचिव।